जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2021/ 847 **दिनांक : 08.06.2021**

// अत्यावश्यक //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर

विषयः- स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष सत्र 2020-2021 में सम्मलित समस्त नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व/ ए0टी0के0टी0/पूरक परीक्षार्थियों के प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु दिशा निर्देश।

सन्दर्भः- मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 663/142/आउशि/शा-5'अ'/2021 दिनांक 31.05.2021।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 528/605/2021/38-3 भोपाल दिनांक 31.03.2021 एवं पत्र क्रमांक 589/142/आउशि/शा-5'अ'/2021 दिनांक 04.05.2021 एवं संदर्भित पत्र द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संपादित करायी जाने वाली समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा सत्र 2020-2021 की परीक्षाओं को कोविड-19 के संक्रमण के कारण ओपन बुक पद्वति से कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उक्त संबध में समस्त महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किये जाता है कि शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार **स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष परीक्षा सत्र 2020-2021 के प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रदत्त निर्देशों के अनुसार प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षा सम्पन्न कराकर प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षाओं के अंक दिनांक 25.06.2021 तक विश्वविद्यालय के एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करावें।**

अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु आप आपने अधीनस्थों को आदेश प्रदान कर परीक्षा कार्य में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर परीक्षाओं से संबधित कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र संबंधितों की ओर निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष नोट :- महाविद्यालय प्राचार्य आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करें कि, महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट परीक्षा के अंक निर्धारित अवधि में एम0पी0 ऑनलाइन पर अपडेट हों, यदि महाविद्यालय द्वारा किसी छात्र/छात्रा के आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट परीक्षा के अंक ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते है तो ऐसे अंक विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किये जावेंगे। आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट परीक्षा के अंको के अपडेट नहीं किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित किया जावेगा। जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली किसी भी बैधानिक कार्यवाही हेतु महाविद्यालय प्राचार्य स्वंय जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/भूतपूर्व/असंस्थागत छात्र/छात्राओं के ऑफलाइन आंतरिक मूल्यांकन एवं/प्रायोगिक परीक्षा/प्रोजेक्ट परीक्षा के किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगें।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक, (उच्च शिक्षा), मोती महल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ कि इस बावत् समस्त अग्रणी महाविद्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

उप/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 663 / 142 / आउशि / शा–5'अ' / 2021 भोपाल, दिनांक 31 / 05 / 2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त पारंपरिक / निजी / दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / स्वशासी / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– कोविड–19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ओपन बुक पद्धति से आयोजित करने के निर्देश।

संदर्भ– 1. उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय का आदेश कमांक 528 / 605 / 2021 / 38–3,भोपाल,दिनांक 31.03.2021

2. कार्यालयीन पत्र कमांक 589 / 142 / आउशि / शा–5'अ' / 2021, दिनांक 04.05.2021

––0––

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये है।

2. स्नातक / स्नातकोत्तर की ओपन बुक पद्धति परीक्षा 2020–21 में शामिल हो रहे समस्त नियमित / स्वाध्यायी परीक्षार्थी विश्वविद्यालयवार वेबसाईट पर प्रश्न पत्र अपलोड होने के पूर्व तक बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाईन परीक्षा फार्म जमा कर सकेंगे। परीक्षा फार्म / शुल्क की रसीद उत्तर–पुस्तिका के साथ संबंधित परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे।

3. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेबसाईट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। परीक्षार्थी वेबसाईट से प्रश्नपत्र डाउनलोड कर प्रश्न पत्र हल करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए जायेगे।

4. स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त प्रायोगिक विषयों के लिए महाविद्यालय स्तर से सेशनल के प्रश्नों को नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये प्रेषित करते हुए ओपन बुक पद्धति उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों को गुणानुकृत करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को प्राप्तांक प्रेषित किया जाएं।

5. ऐसे परीक्षार्थी जो आंतरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं हुए हैं, उनके आंतरिक मूल्यांकन ओपन बुक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएं।

6. स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेंट जमा नहीं किया है उनकें प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेंट ओपन बुक पद्धति से स्वीकार किया जाएं।

7. ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन संबंधी कार्य निर्धारित समय–सीमा में जिला स्तर पर प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाएं। कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय उत्तरपुस्तिका संग्रहण / मूल्यांकन में होने वाले व्यय की राशि अग्रिम के रूप में संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.

निरन्तर...2,

क्रमांकः 664/ 142/आउशि/शा–5'अ'/2021 भोपाल, दिनांक 31/05/2021

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. निज सहायक, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय,भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.